

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की व्याख्या

प्रलिस के लिये:

[भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता](#)

मेन्स के लिये:

उपासना स्थल (वशिष प्रावधान) अधिनियम, 1991, संबंधित प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप को संरक्षित रखने वाला [उपासना स्थल \(वशिष प्रावधान\) अधिनियम, 1991](#), जारी कानूनी संबंधी चुनौतियों के बीच विवादास्पद बना हुआ है।

- उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद ने अधिनियम की प्रयोज्यता पर बहस को पुनः छेड़ दिया है।

शाही जामा मस्जिद विवाद क्या है?

- **विवाद की पृष्ठभूमि:** याचिकाकर्त्ताओं का दावा है कि संभल में 16 वीं शताब्दी की जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर (हट्टी मंदिर) के स्थल पर बनाई गई थी।
- मुगल सम्राट बाबर के अधीन एक सेनापति मीर हट्टी बेग द्वारा लगभग वर्ष 1528 में निर्मित इस मस्जिद में गुंबद और मेहराब के साथ वशिष्ट पत्थर की चूनाई की गई है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित अन्य मुगल मस्जिदों से भिन्न है।
- इसके इतिहास और स्थापत्य के कारण इसके संबंध पूर्व संरचनाओं के समान होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें एक संभावित हट्टी मंदिर भी शामिल है।
- यह वाराणसी, मथुरा और धार में हुए ऐसे ही विवादों से मलिता-जुलता है। याचिकाकर्त्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिये सर्वेक्षण की मांग की है।
- न्यायपालिका की भागीदारी: संभल जिला न्यायालय ने दावों की पुष्टि के लिये शांतिपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालाँकि दूसरे सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप हसिक झड़पें भी देखने को मिली।
- मस्जिद की कानूनी स्थिति: शाही जामा मस्जिद [प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904](#) के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे [भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण \(ASI\)](#) द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- शाही जामा मस्जिद और उपासना स्थल अधिनियम, 1991: उपासना स्थल (वशिष प्रावधान) अधिनियम, 1991 इस विवाद के केंद्र में है।
- अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप, जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे, संरक्षित किया जाना चाहिये तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।
- शाही जामा मस्जिद विवाद में मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने की मांग करके अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है।

उपासना स्थल (वशिष प्रावधान) अधिनियम, 1991 क्या है?

- **परिचय:** उपासना स्थल (वशिष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थितियों को संरक्षित रखना तथा **वभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना** है।
 - इस अधिनियम का उद्देश्य इन स्थानों के धार्मिक चरित्र को स्थिर रखते हुए तथा ऐसे धर्मांतरण से उत्पन्न विवादों को रोककर **सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना** है।
- **अधिनियम के प्रमुख प्रावधान**
 - **धारा 3:** किसी भी उपासना स्थल को, **पूर्णतः या आंशिक रूप से**, एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में परिवर्तित करने पर

- **धारा 4(1):** यह अनविरण्य करता है कि उपासना स्थल की धार्मिक पहचान **15 अगस्त 1947** की स्थिति से अपरविरत रहनी चाहिये। धार्मिक चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास नषिद्ध है।
- **धारा 4(2):** यह वधियक **15 अगस्त 1947** से पहले कसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परविरतन से संबंधति सभी चल रही कानूनी कार्यवाहियों को समाप्त करता है, तथा ऐसे स्थानों की धार्मिक स्थिति को चुनौती देने वाले नए मामलों को शुरू करने पर रोक लगाता है।
- **धारा 5 (अपवाद):** अयोध्या वविाद (बाबरी मसजिद-राम जनमभूमी), जिसे अधनियिम से छूट दी गई।
 - अयोध्या वविाद के अलावा, अधनियिम में नमिनलखिति को भी छूट दी गई है: कोई भी उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतहिसकि समारक है, या प्राचीन समारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधनियिम, 1958 के अंतरगत आने वाला कोई पुरातात्विक स्थल है।
 - ऐसे मामले जो पहले ही आपसी समझौते से सुलझा लयि गए हों या नपिटा दयि गए हों।
 - अधनियिम के लागू होने से पहले हुए धर्मांतरण।
- **धारा 6 (दंड):** अधनियिम में उल्लंघन के लयि कठोर दंड का प्रावधान कयि गया है, जिसमें तीन वर्ष तक का कारावास और उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने का प्रयास करने पर जुर्माना शामिल है।

वच न्यायालय की व्याख्या: मई 2022 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपासना स्थलों के धार्मिक चरित्र की जाँच की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि ऐसी जाँच से धार्मिक चरित्र में कोई बदलाव न हो।

प्रश्न: धार्मिक स्थलों से संबंधित विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की भूमिका, विशेष रूप से हाल ही में उपासना स्थल अधिनियम को मली चुनौतियों के आलोक में, का आकलन कीजिये।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/interpreting-the-places-of-worship-act,-1991>

